कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना ।

पत्रांक ....1799.................................../पटना, दिनांक ...11/11/19...

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पटना।

सेवा में,

श्री शैलेश कुमार
S/o श्री नन्दजी सिंह
किशोरी बसंती भवन, पूर्वी गोला रोड,
रूपसपुर, पटना ।

विषय :- पटना जिला के अन्तर्गत प्रखंड-पटना सदर शीर्ष- MNP योजना अन्तर्गत **ग्राम मरची में देवरामचक बादशाही नाला पर पुल के पश्चिम मुन्नी देवी महादलित टोला** पथ निर्माण कार्य का एकरारनामा संख्या-**64F2/2015-16** दिनांक-04.09.2015 को विखंडित करते हुए निबंधन को काली सूची में डालने के संबंध में।

प्रसंग :- इस कार्यालय के पत्रांक-1659 दिनांक-26.10.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र संख्या-1659 दिनांक-26.10.2019 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्र निर्गत की तिथि से दस दिनों के अंदर आपसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी। आपके निबंधित पोस्टल पता पर उक्त पत्र को स्पीड पोस्ट द्वारा दिनांक-**28.10.2019** को भेजा गया था। परन्तु आज दिनांक-**11.11.2019** तक आपका स्पष्टीकरण अप्राप्त है।

उल्लेखनीय है कि विषयांकित एकरारनामा संख्या-**64F2/2015-16** दिनांक-**04.09.2015** के तहत पथ **ग्राम मरची में देवरामचक बादशाही नाला पर पुल के पश्चिम मुन्नी देवी महादलित टोला** निर्माण कार्य दिनांक-**28.03.2017** को पूर्ण हुआ है। इसप्रकार दिनांक-**29.03.2017** से पाँचवर्षीय अनुरक्षण कार्य प्रारंभ हो गया है। परन्तु आपके द्वारा पथ में अनुरक्षण कार्य नहीं कराया गया जिसके कारण पथ क्षतिग्रस्त हो गया है। प्रासंगिक पत्र के द्वारा पथ को पूर्णरूपेण मरम्मति कर दस दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु आपको निदेश दिया गया था। परन्तु आपके द्वारा न तो पथ की मरम्मति की गयी न ही स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है।

अत: उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आपके द्वारा शत-प्रतिशत एकरारनामा के शर्त्तों का उल्लंघन (Breach of Contract) किया गया है जिसके फलस्वरूप F2 एकरारनामा के सुसंगत कंडिका 3(a) के तहत आपके एकरारनामा सं0 **64F2/2015-16** को विखंडित किया जाता है तथा आपके जमानत एवं अग्रधन की राशि को जब्त किया जाता है। आपके निबंधन को काली सूची में डालने एवं अन्य अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।

अनु0:- यथावत्।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना।

11/11/19

11/11/19